भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1887

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

एम.पी.एफ. योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 'क' श्रेणी में उन्नत किया जाना

†1887. डॉ0 भूषण लाल जांगडेः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छत्तीसगढ़ एक अत्यधिक नक्सल पीड़ित क्षेत्र है, सरकार पुलिस बल की आधुनिकीकरण (एम पी एफ) योजना के अंतर्गत 'ख' श्रेणी केन्द्रीय सहायता का 'क' श्रेणी केन्द्रीय सहायता में उन्नत करने पर विचार करेगी; और

(ख) क्या यह भी संभव है कि केन्द्रीय सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य के गठन के पश्चात् राज्य पुलिस बल 22,549 से बढ़कर 68,354 हो गया है, अतः उसके लिए संसाधन जुटाने हेतु राज्य को पूरी सहायता प्रदान करेगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) और (ख): छत्तीसगढ़ राज्य को 'ख श्रेणी से 'क' श्रेणी में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पुलिस बल में वृद्धि के कारण एफपीएफ योजना के तहत वित्तीय सहायता में वृद्धि को एमपीएफ के तहत निधियां जारी करते समय ध्यान में रखा जाता है। तदनुसार, वर्ष 2015-16 के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य को आकस्मिकता निधि के तहत 6.80 करोड़ रु. और 1.80 करोड़ रु. की अनुपूरक निधि सहित कुल 14.24 करोड़ रु. की निधि जारी की गई थी।